

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16380/2024

नीरज सक्सेना पुत्र श्री. एम.एल. सक्सेना, उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी 54/81, मानसरोवर, जयपुर,
राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड, जयपुर, 2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, सिरसी रोड, जयपुर
इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं)के लिए : श्री अखिल सिमलोटे
श्री दीक्षांत जैन
उत्तरदाता(ओं)के लिए : श्री कपिल शर्मा

**जस्टिस अनूप कुमार ढांड
आदेश**

23/10/2024

समाचारयोग्य

1. इस याचिका में मुद्दा यह है कि "क्या याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध विभागीय जाँच लंबित होने के कारण विदेश यात्रा से वंचित किया जा सकता है।" दरअसल, याचिकाकर्ता का पुत्र सिंगापुर में रहता है और याचिकाकर्ता पारिवारिक कारणों से छह दिनों के लिए उससे मिलने जाना चाहता है, लेकिन प्रतिवादी विभाग ने उसे इस आधार पर अनुमति नहीं दी है कि उसके विरुद्ध विभागीय आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है। इस पृष्ठभूमि में, इस याचिका से जुड़े मुद्दे पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-

- मामले का संपूर्ण रिकॉर्ड मंगाएं और उसकी जांच करें;
- किसी उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को 30.10.2024 से 04.11.2024 तक विदेश (सिंगापुर) यात्रा करने की अनुमति प्रदान करे।
- कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश जिसे माननीय न्यायाधीश याचिकाकर्ता के पक्ष में उचित और उचित समझें, न्याय के हित में पारित किया जा सकता है।

- iv. रिट याचिका की लागत कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में दी जाए।
3. संक्षेप में, मामले का तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने अपने बेटे से मिलने के लिए 30.10.2024 से 04.11.2024 तक सिंगापुर यात्रा की अनुमति के लिए 26.09.2024 को प्रतिवादी-विभाग के समक्ष आवेदन किया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में 26.09.2024 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद, प्रतिवादी विभाग द्वारा उक्त आवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण वे ही बेहतर जानते हैं। अतः, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त प्रार्थना के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
4. विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विदेश यात्रा करने और विदेश में रह रहे अपने पुत्र से मिलने का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत याचिकाकर्ता का मौलिक अधिकार है। अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी विभाग याचिकाकर्ता के उपरोक्त अधिकार को कम या बाधित नहीं कर सकता।
5. अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतीश चंद्र वर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सिविल अपील संख्या 3802/2019**, जो 09.04.2019 को निर्णीत किया गया था, में पारित निर्णय का हवाला दिया है।
6. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को 21.10.2024 को आरोप-पत्र दिया गया था जिसमें उसके विरुद्ध आरोप निर्धारित किए गए हैं और विभागीय जाँच शुरू की गई है। अतः, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती और वर्तमान याचिका केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।
7. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
8. अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का पुत्र सिंगापुर में रहता है और पारिवारिक कारणों से, याचिकाकर्ता अपने पुत्र से मिलने के लिए विदेश यात्रा करना चाहता है। इस संबंध में, उसने प्रतिवादी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 30.10.2024 से 04.11.2024 तक सिंगापुर जाने की

अनुमति मांगी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

9. इस न्यायालय ने दिनांक 19.10.2024 के आदेश के तहत प्रतिवादी को नोटिस जारी किया और मामले को 23.10.2024 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को 19.10.2024 को नोटिस दिया गया था और इस न्यायालय का नोटिस प्राप्त होने के बाद, प्रतिवादी ने तत्काल रिट याचिका के उद्देश्य को विफल करने के लिए 21.10.2024 को याचिकाकर्ता को आरोप पत्र दिया है। याचिकाकर्ता किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं है और यदि प्रतिवादी-विभाग याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विभागीय जांच करना चाहता है, तो वे कानून के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यह याचिकाकर्ता को अपने बेटे से मिलने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता, जो सिंगापुर में रह रहा है। प्रतिवादी की ओर से इस तरह की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में, जो एआईआर 1978 एससी 597** में प्रकाशित हुआ है, यह माना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की अभिव्यक्ति का दायरा व्यापक है, जिसमें विदेश जाने का अधिकार भी शामिल है। किसी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

11. इसी प्रकार सतीश चंद्र वर्मा (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

"विदेश यात्रा का अधिकार एक महत्वपूर्ण बुनियादी मानवाधिकार है क्योंकि यह व्यक्ति के स्वतंत्र और स्व-निर्णायक रचनात्मक चरित्र को पोषित करता है, न केवल उसकी कार्य-स्वतंत्रता का विस्तार करके, बल्कि उसके अनुभव के दायरे का भी विस्तार करके। यह अधिकार निजी जीवन, विवाह, परिवार और मित्रता तक भी विस्तृत है, ये मानवीय पहलू हैं जिन पर विदेश जाने की स्वतंत्रता से इनकार करने से शायद ही कोई असर पड़ता है और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह स्वतंत्रता एक वास्तविक मानवाधिकार है।"

12. सतीश चंद्र वर्मा (सुप्रा) के मामले में भी यह माना गया है कि विभागीय कार्यवाही का लंबित होना किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोकने का आधार नहीं हो सकता।

13. यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने भी **केंट बनाम डलेस** के मामले में, जो **357 यूएस 116 1958** में रिपोर्ट किया गया था, 16.06.1958 को तय किया गया था, निम्नानुसार माना है: -

“(i) विदेश जाने की स्वतंत्रता का सामाजिक महत्व बहुत अधिक है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण मूल मानव अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है।

“(ii) यात्रा का अधिकार “स्वतंत्रता” का एक हिस्सा है जिससे किसी नागरिक को उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता।”

14. उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय का मानना है कि प्रतिवादी के पास याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इंकार करने का कोई कारण नहीं हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि याचिकाकर्ता पर आरोप-पत्र पेश किया जा चुका है और उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही में घरेलू जांच लंबित है।

15. इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के विदेश यात्रा के अधिकार और याचिकाकर्ता के विरुद्ध विधिवत जाँच करने के विभाग के अधिकार के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विदेश जाने की अनुमति प्राप्त व्यक्ति पर लगाई गई शर्तों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जाँच से भाग न पाएँ। विभाग के समक्ष याचिकाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, कोई भी उपयुक्त शर्तें लगाई जा सकती हैं और यदि कानून द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उचित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

16. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को 30.10.2024 से 04.11.2024 तक निम्नलिखित शर्तों पर सिंगापुर की यात्रा करने की अनुमति प्रदान करे, बशर्ते कि वह इस न्यायालय के समक्ष तथा प्रतिवादी के समक्ष यह वचनबद्धता प्रस्तुत करे कि:-

(i) वह 06.11.2024 को या उससे पहले भारत लौट आएगा और इस संबंध में वह इस न्यायालय के साथ-साथ विभाग के समक्ष भी एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।

(ii) वह भारत आगमन के बाद घरेलू जांच में भाग लेने के लिए विभाग के समक्ष उपस्थित होगा।

(iii) वह सिंगापुर को छोड़कर किसी अन्य देश की यात्रा नहीं करेगा, जिसके लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी गई है।

17. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा दी गई समयावधि के भीतर भारत वापस नहीं आता है, तो विभाग कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।
18. याचिका का निपटारा उपर्युक्त शर्तों के साथ किया जाता है।
19. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन (यदि कोई हों) भी निपटाए जाते हैं।
20. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी को कानून के अनुसार विभागीय जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी।

(अनूप कुमार ढांड), जे

अग्रार्थ/318

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate